भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *314

10 दिसम्बर, 2019

"चीनी मिलों की स्थापना"

*314. डॉ. संघमित्रा मौर्य:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश के बदायूं में चीनी मिल स्थापित करने की कोई योजना है, जहां भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है किंतु चीनी मिलों की कमी है और जहां कुछ निजी चीनी मिल उत्पादन के अनुरूप किसानों को भुगतान करने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

लोक सभा में 10.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *314 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) से (ग) : केन्द्र सरकार देश के किसी भाग में चीनी मिल की स्थापना नहीं करती है। इसके अलावा, चीनी उद्योग को दिनांक 31.08.1998 से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस-मुक्त होने के बाद, उद्यमी देश के किसी भी भाग में चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए मुक्त हैं बशर्ते कि वे गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलें में दो चीनी मिलें हैं, नामत: मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बदायूं और मैसर्स यदु शुगर मिल्स, बिसौली तथा इन दोनों मिलों के पास इस क्षेत्र के समस्त गन्ने की पेराई के लिए पर्याप्त क्षमता है। दोनों चीनी मिलों ने चीनी मौसम 2017-18 और पिछले मौसमों के लिए गन्ना बकायों का पूरा भुगतान कर दिया है। चीनी मौसम 2018-19 के लिए मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बदायूं ने गन्ना किसानों के 41.88 करोड़ रुपए के गन्ना बकाया में से 38.02 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। हालांकि, मैसर्स यदु शुगर मिल्स, बिसौली ने चीनी मौसम 2018-19 के लिए गन्ना किसानों के 118.75 करोड़ रुपए के गन्ना बकाया में से केवल 23.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना देय राशि की वसूली के लिए मैसर्स यदु शुगर मिल्स, बिसौली को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया है।

****